न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

प्रा0पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
17/01/2021	2021/18	02–02–2021	10–03–2021

1– राजेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व0 श्री ज्वाला प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बगड़मेव तहसील रामगढ़ जिला अलवर। –प्रार्थी

बनाम

1– मायादेवी पत्नी स्व0 विरेन्द्र उर्फ ललित प्रसाद
2– नवीन कुमार
3– ओमप्रकाश उर्फ संजू
4– राधेश्याम पुत्रान् स्व0 विरेन्द्र उर्फ ललित प्रसाद
5– मु0 कमलेश पुत्री स्व0 विरेन्द्र उर्फ ललित प्रसाद पत्नी अजय निवासीयान ग्राम बगड़मेव तहसील रामगढ़ जिला अलवर। –असल अप्राथी
6– तहसीलदार रामगढ़ जिला अलवर राज0।
7– नरेन्द्र कुमार
8– त्रिवेन्द्र
9– गौरी शंकर
10– शैलेन्द्र
11– जितेन्द्र उफ नितेन्द्र पुत्र श्री ज्वाला प्रसाद जातियान ब्राह्मण निवासीयान ग्राम बगड़मेव तहसील रामगढ़ जिला अलवर। –तरतीबी अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–
01. श्री प्रदीप कुमार जैन –वकील प्रार्थी
02. श्री जगदीश चंद सतीजा –वकील असल अप्रार्थी

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़ के न्यायालय में विचाराधीन वाद संख्या 1/25/2001 बअनुवानी राजेन्द्र प्रसाद वगै0 बनाम विरेन्द्र प्रसाद उर्फ ललित प्रसाद वगै0 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी प्राप्त की गई। बहस सुनी गई। विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उपरोक्त मुकदमा विगत दो वर्षों से अंतिम बहस में चल रहा था। कई बार बहस सुनी जा चुकी है। किंतु मुकदमें का निस्तारण नहीं हुआ है। क्योंकि प्रतिवादी सं0 1 का निधन हो चुका है। जिन्होंने अपने जीतेजी राजनितीक प्रभाव से मुकदमें का निस्तारण नहीं होने दिया। प्रतिवादी सं0 1 के निधन होने के बाद उनके वारिसान

P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

भी मुकदमें का निस्तारण नहीं होने दे रहे है क्योंकि वो राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोग है तथा ऐलानिया कहते है कि हम मुकदमें का निस्तारण नहीं होने देंगे और जब चाहेंगे तब हमारे पक्ष में फैसला करा लेंगे। अप्रार्थी सं0 4 को कई बार मिन प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में आते–जाते देखा है। मुकदमें में बार–बार तारीख पेशी लगवा लेते है और मुकदमें का निस्तारण नहीं होने देते है। मिन प्रार्थी की उम्र लगभग 84 साल हो चुकी है तथा मुकदमा 20 साल से लम्बित है। अंतिम बहस भी हो चुकी है। इसके बावजूद भी मुकदमें का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। अप्रार्थीगण बार–बार तारीख पेशी लेकर चले जाते है। जिससे मिन प्रार्थी को पूर्ण आशंका हो गयी है कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी मुकदमें का या तो शीघ्र निस्तारण नहीं करेंगे या हमारे खिलाफ फैसला करेंगे। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। लिहाजा मिन प्रार्थी उक्त मुकदमें को किसी दीगर सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करवाकर निर्णय कराना चाहता है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद सं0 1/25/2001 बअनुवानी राजेन्द्र प्रसाद वगै0 बनाम विरेन्द्र प्रसाद उर्फ ललित प्रसाद वगै0 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल फरमाया जावें।

वकील अप्रार्थी सं0 1 लगा0 4 ने जवाब प्रा0पत्र में निवेदन किया कि प्रकरण में कई बार अंतिम बहस की जा चुकी है। प्रार्थी का यह कहना गलत है कि मृतक विरेन्द्र प्रसाद ने राजनीतिक प्रभाव के कारण मुकदमें का निस्तारण नहीं होने दिया हो। जबकि वास्तविकता यह है कि मृतक विरेन्द्र प्रसाद एक परचून की छोटी सी दुकान करता था तथा अधिकांश समय में पूजा पाठ व धार्मिक प्रवृति में रहता था जिनका कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है, जबकि राजेन्द्र प्रसाद राजनीतिक पार्टी से संबंध रखता है तथा उसका समस्त जीवन राजनीति में व्यतीत हुआ है। उसका लड़का सचिन वर्तमान में भाजपा का मण्डल अध्यक्ष है। यदि मृतक विरेन्द्र अथवा अप्रार्थीगण राजनीतिक प्रभाव के होते तो प्रकरण को लम्बा करने की आवश्यकता नहीं हेाती वो अपने प्रभाव से पूर्व में अपने प्रकरण का निस्तारण करवा लेते। मिन अप्रार्थी सं0 4 ग्रामीण व्यक्ति है जो न तो पीठासीन अधिकारी को जानता है ना ही चैम्बर का अर्थ समझता है। मिन अप्रार्थीगण की ओर से प्रकरण हाजा को न तो विलम्बित किया गया है ना'ही किसी भी स्तर पर तारीख ली गई है। प्रार्थी को किस आधार पर पीठासीन अधिकारी से यह आशंका हो गयी है कि प्रकरण का निस्तारण उनके खिलाफ किया जावेगा। मिन अप्रार्थी की साक्ष्य बन्द की जा चुकी थी तब तक यह प्रकरण एक पक्षीय चल रहा था। जैसे ही मिन अप्रार्थी को जानकारी लगी तो दिनांक 16.04.2019 को अप्रार्थी की साक्ष्य खोले जाने का प्रा0पत्र पेश किया। जिस पर साक्ष्य को रू0 500/– की कॉस्ट पर खोले जाने का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया। तद्उपरांत तारीख पेशी दिनांक 10.05.2019 नियत की गयी। उस रोज अप्रार्थी राधेश्याम द्वारा साक्ष्य में शपथ–पत्र पेश किया। जिसकी प्रति प्रार्थीगण के अधिवक्ता को दी गयी तथा रू0 500/– कॉस्ट के भी दिये गये तथा आगामी दिनांक 17.05.2019 नियत की गयी। उक्त दिनांक से आज दिनांक तक कभी भी मिन अप्रार्थी द्वारा –

P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

साक्ष्य व बहस हेतु कभी मौका नहीं लिया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने कॉस्ट लेने व साक्ष्य खोले जाने के बाद माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी खिलाफ कानून पेश कर दी। उक्त निगरानी दिनांक 17.05.2019 को खारिज फरमा दी गयी। मिन अप्रार्थीगण ने मुकदमा जल्दी निस्तारण होने की भावना से कैवियट भी पेश की थी। जिससे स्पष्ट है कि मिन अप्रार्थीगण मुकदमे का निस्तारण शीघ्र करवाना चाहते है। प्रार्थी ने मुकदमें का निस्तारण नहीं होने देने एवं मुकदमें में विलम्ब करने की मंशा से निराधार प्रा0पत्र पेश किया है। अतः प्रा0पत्र मुन्तकिल खारिज फरमावें। वकील असल अप्रार्थी ने अपने जवाब के समर्थन में आरआरडी 14.11.2017 पेज 734 से 737, आरआरडी 14.03.2017 पेज 186 से 191 एवं आरआरडी 14.06.2017 पेज 312 से 313 और आरआरडी 14.07.2016 पेज 417 से 419 तक नजिर पेश की है।

हमनें पत्रावली एवं उभय–पक्ष अधिवक्ता द्वारा पेश दस्तावेजात एवं उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक उभय–पक्ष की बहस पर मनन किया। उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ ने प्रार्थना पत्र के बिन्दूओं को स्वीकार/अस्वीकार करते हुऐं अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि प्रकरण सं0 1'/25/2001 बअनुवानी राजेन्द्र प्रसाद वगै0 बनाम विरेन्द्र प्रसाद उर्फ ललित प्रसाद वगै0 विचाराधीन है। पीठासीन अधिकारी ना किसी को जानता है ना ही किसी से वार्ता हुई है। यदि उक्त वाद को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किया जाता है कि इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी द्वारा किये गये कथन मनगढंत व निराधार है। विद्वान अभिभाषक उभय–पक्ष की बहस, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य व उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ की रिपोर्ट से प्रथमदृष्ट्या कोई विधिक बिन्दू प्रतीत नहीं होते है तथ प्रार्थी द्वारा पेश मुंतकिल प्रार्थना पत्र में भी पत्रावली मुन्तकिल करने के संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण नही बताया गया है तथा किसी स्वतन्त्र व्यक्ति के साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। प्रार्थना पत्र मुन्तकिल खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 10–03–2021 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)